भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 122

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

बढ़ती बेरोज़गारी और नीतिगत उपाय

122. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले पाँच वर्षों में देश में बेरोजगारी दर का कोई आँकड़ा उपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, लिंग, युवाओं और राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महिलाओं एवं युवाओं में बेरोजगारी दर में काफी वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो इसके ज्ञात कारण क्या हैं तथा इसको दर्शाने वाला ब्यौरा क्या है;

(घ) महिलाओं एवं युवाओं में बेरोजगारी की वृद्धि को दूर करने हेतु सरकार द्वारा लागू किए जा रहे तत्काल रोजगार सृजन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेबीवाई) तथा अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण पहलों के अंतर्गत श्रमिकों का कौशल उन्नयन या कौशल संवर्धन करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभार्थियों का आंकड़ा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2019-20 में 4.8%, वर्ष 2020-21 में 4.2%, वर्ष 2021-22 में 4.1% और वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 में 3.2% थी और 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए वर्ष 2019-20 में 15.0%, वर्ष 2020-21 में 12.9%, वर्ष 2021-22 में 12.4%, वर्ष 2022-23 में 10.0% और वर्ष 2023-24 में 10.2% थी।

इसके अलावा, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और लिंग-वार सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अलग-अलग अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	शहरी		ग्रामीण	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2019-20	4.5	2.6	6.4	8.9
2020-21	3.8	2.1	6.1	8.6
2021-22	3.8	2.1	5.8	7.9
2022-23	2.7	1.8	4.7	7.5
2023-24	2.7	2.1	4.4	7.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस अवधि में बेरोज़गारी दर (महिलाओं और युवाओं सहित) में कमी आई है। सामान्य स्थिति के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) **https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All** पर उपलब्ध है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार (महिलाओं और युवाओं सहित) सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए ' फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 18.56 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पर साइन-अप किया है, जिनमें से 3.37 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है।

सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी इंजीनियरिंग की मेधावी महिला छात्राओं को 'प्रगति' और 'सरस्वती' जैसी छात्रवृत्तियां भी प्रदान करती है जिससे इन विषयों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए एआई करियर पहल भी शुरू की है, जहां दो वर्षों की अवधि में, लड़कियों के लिए प्रशिक्षण और सक्षम आर्थिक अवसर कार्यक्रम के फोकस होंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' घटक कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत डे-केयर की सुविधाएं और बच्चों की सुरक्षा मुख्य बिंदु हैं। "पालना" के अंतर्गत, मंत्रालय ने बच्चों की देखभाल की निशुल्क सेवाओं का आंगनबाड़ी सह-शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से विस्तार किया है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नए प्रकार की नौकरियों/जॉब रोल्स् में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान

(जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

देश में पीएमकेवीवाई के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण की विस्तृत प्रगति https://www.skillindiadigital.gov.in/pmkvy-dashboard पर उपलब्ध है। सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, 15-29 आयु वर्ग के व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित (औपचारिक और अनौपचारिक) व्यक्तियों का प्रतिशत जो 2017-18 में 7.1% से बढ़कर 2023-24 में 26.1% हो गया है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता**,** 2020 में 26 सप्ताह का सवैतनिक प्रसूति अवकाश, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (ओएसएच), 2020 में प्रावधान हैं कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है, जो सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

केंद्रीय बजट (2024-25**)** में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

*****